

ISO9001: 2015 ISO14001:2015

Indag Rubber Limited

Regd.Office: Khemka House, 11, Community Centre, Saket, New Delhi :110017, India Phone :26963172-73, 26961211, 26663310, 41664618, 41664043, Fax: 011-26856350 E-mail: info@indagrubber.com, Website: www.indagrubber.com, CIN-L74B99DL197BPLC009038

Works :Village Jhiriwala, Tehsil, Nalagarh, Distt. Solan, Himachal Pardesh - 174101, India Phone :09736000123

July 26, 2024

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 (Company code-1321) (Scrip code-509162)

<u>Subject: Newspaper advertisement confirming dispatch of Notice of the 45th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, August 16, 2024 along with Annual Report for FY 2023-24.</u>

Dear Sir.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper clippings published in "The Pioneer" (English and Hindi) on July 26, 2024, both newspapers having electronic editions, confirming the dispatch of Notice of the 45th Annual General Meeting of the Company to be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) and information regarding e-voting along with Annual Report for FY 2023-24.

This is for your information and record please.

Yours faithfully, For **Indag Rubber Limited**

Sonal Garg Company Secretary & Compliance Officer

LS adjourned twice

PNS NEW DELHI

The Lok Sabha was adjourned twice in the post-lunch period on Thursday as a war of words broke out between the treasury and Opposition benches, triggered by Congress MP Charanjit Singh Channi's spat with BJP's Ravneet Singh Bittu.

Participating in a debate on the Union Budget, Channi referred to the assassination of Bittu's grandfather, former Puniab Chief Minister Beant Singh. This led to a war of words between Channi and Bittu, who recently quit the Congress to join the BJP.

Bittu, the Minister of State for Railways and Food Processing Industries, countered by making certain personal remarks against Channi and former Congress President Sonia Gandhi, triggering an uproar. Amid the angry exchange of words, Congress member Amrinder Singh Raja Warring tried to enter the Well of the House, but was stopped by Leader of Opposition Rahul Gandhi.From the treasury benches, Bittu also tried to enter the Well.BJP member Sandhya Ray, who was in the chair, then adjourned the proceedings for 30 minutes till 2

When the House reconvened. Defence Minister and Deputy Leader of the Lok Sabha Rajnath Singh urged Speaker Om Birla to remove any unparliamentary references and continue with the debate.

Birla also directed the treasury and the opposition members to maintain the dignity of the



House, adding that ministers especially should not break the rules. Channi then proceeded to conclude his speech. He mentioned the meeting of Rahul Gandhi with some farmer leaders on Wednesday, adding that they had also sought time to meet the prime minister. Channi also accused the government of not keeping its promises to the farmers.

Commerce Minister Pivush Goyal intervened and accused the Congress MP of misleading the House, saying he should authenticate the allegations he was making.

Channi accused the ruling party members of obstructing his speech and alleged that the government was overlooking farmers.

He stressed that the farmers had several demands, including one for a loan waiver. As he alleged that National Security Act provisions were invoked

against protesting farmers, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said Channi should authenticate the allegations and accused him of misleading

Rijiju also urged the chair to move a privilege motion against Channi. The war of words between the ruling and the opposition benches went on even after Channi concluded his speech.

As Nationalist Congress Party MP Tatkare Sunil Dattatrey started his speech, Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee objected to a Minister taking the seat next to the member. Speaker Birla clarified that seats have not been allotted yet, and the Minister was sitting on a seat meant for NDA members.Banerjee then said he would also sit on a different seat, and sat on the treasury

benches' side. He later returned to his seat. As the ruckus continued,

Jagadambika Pal, who was then in chair, adjourned the House till 3 pm. The House resumed normal functioning after it met at 3 pm. Speaking outside Parliament later, Bittu accused former Punjab Chief Minister Channi of indulging in "anti-

national" behaviour. "An ex-CM was behaving like an anti-national, and is misleading the world through the House. What did he do? He said NSA was imposed on farmers, while NSA has been imposed on those who were trying to divide the country and Punjab," Bittu said.

"An ex-CM made remarks that were aimed at dividing the country and Punjab, and Congress leader Rahul Gandhi was sitting there. When I said on the floor that he should provide evidence, he went on back-foot.

The Congress party and INDI alliance have been embarrassed because of him," Bittu said.

Naidu promises enquiry into MPs charges of abrupt airfare hike

PNS NEW DELHI

Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu on Thursday promised to conduct an enquiry into allegations of abrupt fare hike when MPs try to book tickets on Air Vistara airline, following complaints by MPs and a nudge by Lok Sabha Speaker Om Birla. He assured the House that his primary focus remains on enhancing the 'Ease of Flying' for all citi-

Raising the issue during Question Hour in Lok Sabha through a supplementary question, DMK member Dayanidhi Maran alleged that whenever he tries to book ticket on Air Vistara for the Chennai-Delhi route, initially it shows a price in the range of around Rs 25,000. However, by the time he concludes the whole booking process, the fare goes up by two to three times more, he alleged. The DMK leader wondered whether some technology applied by TCS, a software giant belonging to the same Tata group, drives up the air

Birla said he had received similar complaints from a few other MPs too and the matter should be thoroughly investigated as the "money of the tickets goes from Parliament". At this, the Minister replied: "We get the matter inquired".Parliament sources said the MPs are entitled to travel by business class. Replying to another question, Naidu said ever since he has taken over the charge of the civil aviation ministry, he has

Intervening in the discussion,



been trying make air travel affordable for the common people. However, he said, the air fare is market driven and lots of factors come into play while deciding the fare of any sector. "Customer is king and that is the priority of the ministry. We will do whatever we can to make the air travel affordable,"

The Minister also said that he will look into the allegations of high air fare during holiday season on international routes. "As far as regulation of airfare is concerned, the government does not regulate the fares set by airlines- Indian or foreign. The fares on any route are dependent on seasonality, holidays and festivals, cost of aviation turbine fuel, competition and other similar factors," he said.

Naidu said airline pricing runs in multiple levels (buckets or RBDs) which are in line with the practice being followed globally and due to dynamic fare pricing, the tickets bought in advance are much cheaper than those purchased near the travel date.

He said under the provisions of Rule 135(1) of the Aircraft Rules, 1937, the airlines are free to fix tariffs, having regard to all relevant factors, including cost of operation, characteristics of services, generally prevailing tariff etc.

"DGCA's Tariff Monitoring Unit (TMU) ensures that the fares being charged by the airlines are as per the tariff established by the airlines.

At present, there is no proposal in the ministry to intervene with the existing regulatory framework on airfare," he said. Naidu, in his debut session, demonstrated exceptional capability by proactively addressing the MPs' questions and providing comprehensive

His performance was met with admiration and support from

Govt committed to free,

fair recruitment tests,

Minister assures RS



Shekhar new IFFI festival director

PNS NEW DELHI

Veteran filmmaker Shekhar V Kapur, known for films such as "Mr India", "Bandit Queen" and "Elizabeth", has been appointed festival director for the International Film Festival of India (IFFI).

Kapur will head the festival, held annually in Goa, for the 55th and 56th editions, the Information and Broadcasting Ministry said in a notification.

With the approval of the Competent Authority, it has been deciđed to appoint Śhri Shekhar Kapur as the Festival Director for the 55th and 56th editions of the International Film Festival of India, Goa," the notification read. Kapur said the appointment was an ĥonour. "It's an honour. It's a commitment. It's a responsibility. Thank you for considering me worthy of your trust," he said in a social media post tagging the ministry.

Kapur, 78, is an influential name in Indian cinema and one of the earliest directors to establish a name for himself in Hollywood with his film "Elizabeth" and its sequel "Elizabeth: The Golden

Age". He has directed films such as "Masoom", "Mr India" and "Bandit Queen" in India. Most recently, he directed the British comedy "What's Love Got to Do

INDAG RUBBER LIMITED

(CIN: L74899DL1978PLC009038) Regd. Office: Khemka House, 11, Community Centre, Saket, New Delhi -110017. Ph. No. 011-26963172/73, E-mail Id:- info@indagrubber.com,

Website: www.indagrubber.com
NOTICE OF THE 45TH ANNUAL GENERAL MEETING

AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the Forty-Fifth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Indag Rubber Limited ("the Company") will be held on Friday, August 16, 2024 at 03:00 P.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility only including e-voting/remote e-voting without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of AGM dated June 26 2024; in compliance with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 202 Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/ 2023 dated September 25, 2023 and all other relevant circulars issued from time to time ("MCA Circulars") and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/ Pol 2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of

for the 45th AGM shall be the Registered Office of the Company In compliance with the relevant circulars, the Company has sent the Notice of AGM along with Explanatory Statement and Annual Report for the Financial Year 2023-2024 on July 25, 2024 through electronic mode to all the members whose name appear in Register of Members as on July 19, 2024 and whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant(s). The Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-2024 are also available on on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only and such Members shall be reckoned for the purpose of quorum under

India ("SEBI Circulars") (collectively referred to as "relevant circulars"). The deemed ver

Section 103 of the Companies Act. 2013. RECORD DATE AND DIVIDEND

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 14, 2024 has, interalia approved and recommended final dividend of Rs. 2.1/- per equity share of the face value of Rs. 2/- each, in addition to the interim dividend of Rs. 0.90/- per equity share of face value of Rs. 2/- each already paid, for the financial year ended 31 March, 2024, subject to the approval of members at the AGM

The dividend, as recommended by the Board, if approved at this AGM, would be paid subject to deduction of tax at source, as may be applicable, within a period of 30 days from the date of declaration, to those persons or their mandates whose names appear on the company's register of members as on August 16, 2024 (if shares are held in physical form and to those beneficial owners whose names are furnished by NSDL and CDSL as on th close of business hours on August 9, 2024 (if shares are held in dematerialized form). The Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from Saturda

August 10, 2024 to Friday, August 16, 2024 (both days inclusive). REMOTE E-VOTING

n accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has availed services of Nationa Securities Depository Limited (NSDL) to provide Electronic Voting Facility to its members Members may please note below with respect to the remote e-voting services as availe the ordinary and the special business as set out in the Notice of AGM may be

transacted through remote e-voting which shall commence from August 13, 2024 at 9:00 a.m. and end on August 15, 2024 at 5:00 pm.

A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as or the cut-off date of August 9, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as voting electronically at the AGM by selecting EVEN number of the company. The voting rights of members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

Any person who has acquired shares and become members of the company after sending of AGM Notice in electronic form but before the cut-off date of August 9, 2024 may obtain their User ID and password for remote e-voting from the Company's RTA via e-mail at admin@skylinerta.com or NSDL at evoting.nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

iv) A Person who is not a member of the Company as on cut-off date i.e. Friday, 9th August 2024, should treat this Notice for information purpose only.

The remote e-voting shall be disabled by NSDL after August 15, 2024 at 5:00 pm and

no voting shall be allowed after the said date and time. (vi) The facility of e-voting will also be made available at the AGM on all the resolutions as set out in the Notice of 45th AGM. The procedure to cast the vote through e-voting system of NSDL has been described in the Notice of AGM.

vii) Those members, attending the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the Resolutions through Remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

riii) A member may participate in the AGM after exercising his vote through remote voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

(ix) The documents as may be required for members' inspection will be availab electronically for inspection without any fee during the AGM.

(x) In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs and e-Voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.con or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request a evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre. Senior Manager. Nationa Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary

info@indagrubber.com. xi) The Board of Directors has appointed Mr. Kanishk Arora of M/s. Kanishk Arora & Co. Practicing Company Secretaries (CP No. 13253), as the Scrutinizer for conductin remote e-voting in a fair and transparent manner.

The details of the said meeting are also available on the website of the Compa vw.indagrubber.com and the website of BSE Limited (www.bseindia.com) By order of the Board

Date: July 25, 2024

Place: New Delhi

For Indag Rubber Limited

Company Secretary

PUBLIC NOTICE

PICICI Bank | Branch Office: ICICI Bank Ltd., Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

The following borrower(s) has/have defaulted in the repayment of principal and interest towards the Loan facility(ies) availed from ICICI Bank. The Loan(s) has/have been classified as Non-Performing Asset(s) (NPA). A Notice was issued to them under Section 13(2) of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, at their last known addresses. However, it has not been served

and	are therefore being notified by way of this	Public Notice.		
Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Description of Secured Asset to be enforced	Date of Notice sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
	Rishi Singh/ Aditya Singh/ Santosh Devi A/c No. LBROH00005173146, R/o 659/1, Vishal Nagar Haryana Rohtak 124001	2, Tower-L, Situated At Sector-	29/06/2024 Rs. 17,41,286/-	04/04/ 2024

These steps are being taken for substituted service of Notice. The above borrower/s and/or guarantor/s (as applicable) is/are advised to make the outstanding payment within 60 days from the date of publishing this Notice. Else, further steps will be taken as per the provisions of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: July 26, 2024 Place: Delhi

Sincerely, Authorised Signator

PUBLIC NOTICE

PICICI Bank | Branch Office: ICICI Bank Ltd., Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

The following borrower(s) has/have defaulted in the repayment of principal and interest towards the Loan facility(ies) availed from ICICI Bank. The Loan(s) has/have been classified as Non-Performing Asset(s) (NPA). A Notice was issued to them under Section 13(2) of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, at their last known addresses. However, it has not been served and are therefore being notified by way of this Public Notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Description of Secured Asset to be enforced	Date of Notice sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
10.000	Nidhi./ Amrita Nand Badola (LBDEH00002870577) & 15/215, Malviya Nagar, New Delhi- 110017	Flat No. 53 D, Mig Isbt Residential Yojna Dehradun Uttaranchal- 248002	18/06/2024 Rs. 4,43,600/-	04/04/ 2024
	Deepak Tomer/ G P Singh (LBBAR00003213793) & S/o of Gyanendra Pal Singh, House No. 170, Sector 2, Greater Green Park, Bareilly Near Bishop School RK University Road, Navabanj UP Uttar Pradesh Bareilly - 243006	Plot No. 170, Khasra No. 62 Minjumla, Greater Green Park, Situated At Gram Harunagla, Tehsil & District Bareilly, Uttar Pradesh-243001	03/07/2024 Rs. 3.03,885/-	07/04/ 2024

These steps are being taken for substituted service of Notice. The above borrower/s and/or guarantor/s (as applicable) is/are advised to make the outstanding payment within 60 days from the date of publishing this Notice. Else, further steps will be taken as per the provisions of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, खटीमा, ऊधमसिंह नगर

पेयजल योजना का नाम

f ICICI Bank

Date: July 26, 2024 Place: Delhi

विकास

ई-निविदा सूचना

एतद्द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान में पंजीकृत फर्मी / ठेकेदारों से ई–निविदा (टू बिड प्रारूप में) आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित सभी सूचना <u>www.uktenders.gov.in</u> पर दिनांक 27.07.2024 की साय 05.00 बजे से

सं0	खण्ड			राशि	की श्रेर्ण
				(रू. में)	
1	सितारगज	सितारगंज नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत सितारगंज नगरपालिका परिषद के विभिन्न वार्डों में पाईप लाईन विस्तार, रोड कटिंग, रोड पुनः निर्माण/मरम्मत एवं तत्सम्बन्धी कार्य।	4000.00+	300000.00	''बी'' / उच्चतर
		निविदा सूचना में यदि कोई संशोधन किया			
ww	w.uktenders	s.gov.in पर अपलोड की जायेगी, संशोधित सूचना का	प्रकाशन समा	वार पत्र में न	नहीं किया

अधिशासी अभियन्ता

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Ltd. 4/10, Mythree Tower, Bommanhalli HosurMain Road Bangalore- 560068

निविदा मूल्य | धरोहर | ठेकेदार

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice. Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs)	Name of Branch
1.	Shamah Rubbers, Vijayakumar P, Shoba Vijayakumar & Daniiel P/ 25-23A Mundakala Vilai, Keelapavoor, Cherupallur Marthandam Kanniyakumari- 629161/ 418905004089.	Property 1 In Kanyakumari District, Marthandam Registration District, Thiruvattar Sub Registration District, Kalkulam Taluk, Thumbacode Village, Aramannam Desam Comprised In RE.SY.NO: 119/2H Measuring 34.5ares (21 Cent 500sq. Links) Admeasuring 5cents (202.35 sq.mtr) Of Land With House Bearing Door No: 25-23A Bounded By, East: Road West: Land Belongs To Kochu Kunjan North: Land Belongs To Ponnumuthu Nadar South: Land Belongs To Ponnumuthu Nadar South: Land Belongs To Ponnumuthu Nadar The Property Bearing Old Sy.No: 121/B. Property 2 In Kanyakumari District, Marthandam Registration District, Thiruvattar Sub Registration District, Kalkulam Taluk, Thirparappu Town Panchayat, Thumbacode 'A' Village, Arammannam Desam Comprised In Old Sy.No.121B, Jenmam RE.SY.NO.119/2H Measuring 34.5are Admeasuring 21 Cent (500sq. Links) Bearing Kandam No.04 Admeasuring 242.82 sq.mtr (6 Cent) Of Land With Residential Building Bearing Door No.25-23 Bounded By, East: Road West: Land Belong To Pushpam & Family North: Land Belong To Vijayakumar & Family South: Land Belong To Gunaseelan & Family./ Date Of Symbolic Possession 23rd July 2024.	February 17, 2024 Rs. 51,19,054.00/-	Kanya- kumari

PUBLIC NOTICE

Lost original English DDA ALLOTMEN LETTER Vide Doc. No. F1815831185 HBM/NP Dated 05/06/1986 Of Flat no 77-C, Pocket A, 2nd Floor, Vikaspur Puri EXTN, Vikaspuri, West Delhi 110018 on the name of Harindra Partap Singh. Finder contact at Flat No 1039, Plot no 23 Apna Villa Apartment sector-10 Dwarka New Delhi-110075.

PUBLIC NOTICE

It is inform to the Public Notice at large that i Chandan Kumar is Purchasing the 3rd Floor with Roof rights out of Property No-73, area measuring 200 Sqyds out of Khasra No-15/24/1 Area village Dabri, Colony known as Raghu Nagar New Delhi. The owner of the floor is Vinod Kumar, he is the owner from GPA (Notarized), ATS and will dated 18/10/2011 and he was Purchased from Mrs. Dimble Kumar and Mr. Laxmi Narain from GPA/ATS/will. I am aware that in this Property the CTC of the Khatoni is not available and I Purchase this Property from GPA Holder. I am giving the l news Paper Publication regarding this paper. If any person having any type of Claim/rights/title interest over the said property may inform in writing within 7 days, said property is free from all type of Encumbrance lien etc.

Basukee Nath Jha (Advocate) Plot No 714, A/A, A Block Inder Enclave Ph-2, Kirari Suleman Nagar, ND-86

PUBLIC NOTICE lirmal Puri, Lajpat Nagar, New Delhi-11002 neasuring 255.5 sq. ft..

measuring 255.5 sq. ft.
That my clernt Shri Suresh Matnani son of Shri Nenumal Thakurdas Matnani resident of House No. B-504. Plot No. 21, Dwarka Appartment Dwarka Phase-I, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 is the sole and absolute owner and in physical possession of the Property bearing No. I-4/1V, First Floor, situated at Old Double Storey, Nirmal Puri, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, measuring 255.5 sq. ft., on the basis of Will dated 20.65.2003, executed by his sister Late Ms. Jaya Matnani daughter of Late Shri Nenumal Thakurdas Matnani resident of I-4/1V, First Floor, Old Double Storey, Nirmal Puri, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 during her fife time, which is duly registered as Document No. 1740, in Additional Book No. III, Volume No. 354, or pages \$3 to \$56, on 20.52003, in the office o Sub-Registrar-VIII, New Delhi and she died or 50.94.2021. Further, declare that the saic property is free from all disputes, litigations charges, liens, prior sale, giff, mortgage, will prior agreement, HUF, acquisition, attachments in the decree of any court, court injunction and other encumbrances whatsoever.

If anybody has any claim, against, into or upor the said property or any part thereof by virtue of hat my client Shri Suresh Matnani son of Shi

other encumbrances whatsoever.

If anybody has any claim, against, into or upor the said property or any part thereof by virtue o sale, gift, will, innertance, agreement, contract mortgage, HUF, lien, charges etc. or otherwise howsoever and whatsoever nature is hereby required to notify the same in writing along wiff supporting documents, if any, evidencing to the undersigned within 15 days, from the date o publication of this Notice, failing which my clien shall conclude the ownership of the saic property, thereafter, the objections/ claims, if any shall be considered as waived and abandoned and shall not be binding upon my client.

AMIT ANAND, Advocate Enrol. No. D-1452/2003 Enrol. No. D-1452/2003

Sincerely Authorised Signatory For ICICI Bank Ltd.

PNS NEW DELHI

here has been no incident **I** of paper leak reported in the recruitment examinations conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC), Railway Recruitment Board (RRB) and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), during the last two years, the Rajya Sabha was informed on Thursday.

"Recently, National Testing Agency (NTA) conducted NEET(UG) examination on May 5, 2024 in OMR (Pen and paper) mode. Certain cases of alleged irregularities/cheating/impersonation/malpractices were reported," Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh said in a written After review, the matter was

entrusted to the Central Bureau of Investigation (CBI) for comprehensive investigation on June 22, 2024, he said. "No incidence/event of paper

leakage has been reported in the recruitment examinations conducted by Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC), Railway Recruitment Board (RRB) and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), during the last two years," Singh said.In order to provide for prevention of unfair means in public examinations, the Government has enacted the Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 2024, which has been brought into force vide and

subsequently rules under this law have also been notified, he added.The Minister also informed the Upper House that the National Recruitment Agency (NRA) is conducting a detailed study of the prevalent

The NRA, mandated to conduct online examinations to screen Government job aspirants, was given an approval in 2020 by the Union cabinet.

"NRA is conducting a detailed

study of the prevalent recruit-

recruitment systems in central

and State Governments to con-

duct a free and fair examina-

tion.

ment systems in central and State Governments and the procedure followed by various Public Examination Authorities (PEAs) for conduct of examination and also examining the issues which are likely to arise in the new examination system and address them ab initio so as to conduct a free and fair examination," Singh said in a written reply. The Minister was responding to a query whether the NRA has conducted any recruitment tests since its inception. Singh said the NRA is also in the process of developing protocols and policy frameworks to address various issues associated with conduct of the new examination system as well as evolving effective means for ensuring compliance of normative standards and guidelines by all concerned.He said four Governing

Body meetings have been held

since the inception of the NRA,

which functions from its head-

quarters at New Delhi.

जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग से मुलाकात की

• एलएसी का पूर्ण सम्मान करने की जरूरत बताई

भाषा। वियनतियान (लाओस)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को यहां अपने चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तथा पिछले समझौतों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस महीने दूसरी बार मिले दोनों नेताओं ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पर भी

जयशंकर ने यहां आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान वांग से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, रूप से हमारे संबंधों की स्थित पर मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता



लाओस में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर

चाइना) पोलित ब्यूरो सदस्य और आज वियनतियान में मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा जारी रही। सीमा की स्थिति निश्चित

पर्वी लद्दाख में सीमा विवाद जारी रहने (चीन के) विदेश मंत्री वांग ई से के बीच हुई जो मई में अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर गया।

> जयशंकर ने कहा, वापसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत

पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। हमें वर्तमान मुद्दों पर उद्देश्य और तत्परता की भावना का रुख रखना चाहिए।

दोनों नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। भारत का कहना है कि जब तक सीमा क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। मई 2020 से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध है तथा सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है. हालांकि दोनों पक्ष टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हटे हैं। जुन 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झडप के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई थी, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे

अलास्का के नजदीक रूस और चीन के बमवर्षक विमान देखे गएः उत्तर अमेरिकी एरोस्पेस कमान

बीजिंग। चीन और रूस के लंबी दुरी तक मार करने में सक्षम चार बमवर्षक विमानों को अलास्का के नजदीक अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के उपर उडते देखा गया, जिसके जवाब में अमेरिका तथा कनाडा ने अपने लड़ाकू विमान भेजे। अमेरिका एवं कनाडा की संयक्त एरोस्पेस कमान ने एक बयान में यह जानकारी दी। रूस और चीन दोनों के दो-दो विमान थे। नार्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमान (एनओआरएडी) ने कहा कि चीन और रूस की सैन्य गतिविधि को खतरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। चीन और रूस ने बृहस्पतिवार को पुष्टि की कि उसने रूस को अलास्का से अलग करने वाले बेरिंग सागर के उप्रर संयुक्त रूप से हवाई गश्त की। कमान ने एक विज्ञप्ति में कहा गया, एनओआरएडी उत्तरी अमेरिका के नजदीक प्रतिद्वंद्वी गतिविधियों की लगातार निगरानी करेगा।

मंत्री एस.जयशंकर ने बृहस्पतिवार केंद्रित रही जबिक उन्होंने नार्वे के को आसियान बैठक से इतर नेता के साथ मुक्त व्यापार समझौते

जयशंकर ने आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की

(एफटीए) पर चर्चा की। नार्वे के विदेशमंत्री के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने कहा. आज एस्पेन बार्थ इडे से मलाकात अच्छी रही। भारत और नार्वे की स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार में साझेदारी जारी रहेगी। दोनों देशों की बेहतरी के लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते (ईएफटीए)

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीति पर क्रियान्वित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भू राजनीति स्थिति पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि वह अपने मित्र फिलीपीन के एनरिक ए मनालो से मिलकर खश हैं। दोनों लोकतंत्रों के बीच मजबृत होते हमारे सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी, विशेष रूप से कानून के शासन और आसियान की प्रमुखता बनाए रखने

🕸 Karnataka Bank Ltd. 📖

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा पूसा रोड नई दिल्ली - 110060

फोन: 011-40591567 (एक्स. 240) सीआईएन: L85110KA1924PLC001128

अवल सम्पत्ति की बिक्री सूवना वित्तीय परिसंपत्तियाँ के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियाँ की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित

ाम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है वि निषे वर्णित अधल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक कन्जा न्नांटक बैंक लिमिटेंड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 31.07.2023 को लिया गया है इसके उधारकर्ता / गारंटर / सह-ऑब्लिगेंट

 भी भगवान गीतम पुत्र भी किशान चंद, (2) भीमती किरण गीतम पत्नी भी भगवान गीतम, दोनों (1) ोर (२) निवासी: 745/3, हरि नगर, जनता स्कूल के सामने, गनीर, सोनीपत, हरियाणा 131101 (३) भी बृशन दत्त पुत्र श्री किशन चंद, मकान में, 294-सी/14, एमसी रोड अशोक गगर, गम्मीर लोनीपत—131101, हरियाणा से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, बुंडस्री शाखा, दुकान नं 6 मृतल, बी एम कॉम्प्लेक्स, ड्रेन नं. 8 के पास, जीटी रोड, बुंडली हरियाणा 131028 की बकाया राशि रु 6.10,233.92 (रू. छप्पन लाख दस हजार दो सी ठैंतीस और पैसे बान्वे मात्र) जर्यात (() सावधि ऋण खाता सं. 3907001600000801 के अंतर्गत रु. 17.07.844.56 दिनांक 03.07.2024 से भविष्य के ब्याज संहित, (11) सावधि ऋण खाता सं. 3907001600003501 के अंतर्गत रु. 39.02.389.00 दिनांक 09.07. 2024 से भविष्य के ब्याज तथा लागत, इत्यादि सहित की वसूली हेतू "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 22.08.2024 को बेचा जाएगा।

संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 440 वर्ग गज अर्धात 14.5 मारल कुल 9 कनाल—14 मरला मूमि में से 29/388 हिस्सा, खेवट सं. 455//418, खाता सं. 597, रेवट और किला सं. 109//3(4–14) 4/1(5–0) वर्ष 2015–16 की जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में खेवट सं. 491 / / 455, खाला सं. 633 वर्ष 2020-21 की जमाबंदी के अनुसार जिसका आकार पूर से पश्चिम-75 वर्ग फीट, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम-50 फीट और पूर्व दिशा 56 फीट, इस्तांतरण विलेख सं. 807 दिनांकित 17.07.2020 और स्यूटेशन ने . 25128, मीजा गनीर, तहसील गनीर, जिल सोनीपत में स्थित, यह सम्पत्ति श्री श्री भगवान गीतम के नाम पर है।

चौहदीः पूरब में — योगी का प्लॉट, पश्चिम में — अन्य का प्लॉट, उत्तर में — मकान, दक्षिण में – गली / रास्ता

आरक्षित मृल्य/अपसेट मृल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकती: (रु. बायन लाख अस्सी हजार मात्र) तमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि: रु. 5,28,000.00 (रु. पींच लाख अड्डाईस हजार मात्र)

2. संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 497.77 वर्ग गज अर्धात 18 मारला सरसाई, कुल 9 कनाल-14 गरला भूमि में से 33/388 हिस्सा, खेवट सं. 418, खाता सं. 568, रेक्ट और किला सं. 109//3(4-14) 4/1(5-0) वर्ष 2015-16 की जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में खेवट सं. 491//455, खाता सं. 633 वर्ष 2020-21 की जमाबंदी के अनुसार, गनौर के रेवेन्यू ईस्टेट में, तहसील गनौर, जिला सोनीयत में स्थित, यह सन्यसि श्री श्री भगवान गीतम के नाम पर है। यह संपत्ति नैसर्स श्री गणेश ट्रेंडर्स के खाते में सामान्य संपार्शिवक है। चौहदी: पूरव में – श्री योगेश्वर त्यागी की संपत्ति, पश्चिम में – श्रीमती किरण का बचा हुआ हिस्स

-17-1/2 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में - श्रीमती कमलेश की संपत्ति आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकती: रु. 57,24,000.0 (रु. सत्तावन लाख चौबीस हजार मात्र)

जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु. 5,72,400.00 (रु. पींच लाख बहतर हजार चार सं उधारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओ

शकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्ति को धुकाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है () हे तहत नोटिस के रूप में भी कार्य करेगा) बिक्री के विस्तत नियमों और शतों के लिए कपया कर्नाटक बैंक की देवसाइट अर्घात

www.karnatakabank.com में दिए गए लिंक देखें। दिनांक 22.08.2024 को मेगा ई-मीलामी व

ई-मीलामी 22.08.2024 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 05 मिनट के असीमिर वेस्तार के साथ पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुव बोलीदाता को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और उपयो आईडी और पासवर्ड नि.शृल्क प्राप्त करना होगा और ई—नीलामी (संभवत: 21.08.2024 को) मैसर्स 4क्लोजर, 605 ए. 6वी मंजिल, मैत्रिवनम, अमीरपेट, हैदराबाद— 500038, संपर्क मं 040—23836405, मोमाइल 8142000062, ई—मेल: info@bankauctions.in से ऑनलाइन प्रशिक्ष प्राप्त करना होगा।

दिनांकः 25.07.2024

कृते कर्नाटका बैंक सि

कमला हैरिस शासन करने मोदी की रूस यात्रा के समय को लेकर निराश अमेरिकाः अमेरिकी अधिकारी समाधान की वकालत की है।

के योग्य नहीं : डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद घोषित किया जाएगा। ट्रंप ने कहा, के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की को कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सबसे उदार निर्वाचित राजनीतिज्ञ हैं। देश में शासन करने के योग्य नहीं हैं। वह एक अति-उदाखादी राजनीतिज्ञ हैरिस के संभावित उम्मीदवार बनने के हैं। वह बर्नी सैंडर्स से भी ज्यादा उदार बाद पहली बार अपनी चुनावी रैली को हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने आरोप लगाया, संबोधित करते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेटिक अगर वह कभी सत्ता में आईं तो वह प्रतिद्वंद्वी पर यह तीखा हमला किया। इस देश को बहुत तेज़ी से नष्ट कर राष्ट्रपति जो बाइडन (81) ने बीते देंगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने सप्ताहांत में राष्ट्रपति पद की चुनावी कहा कि हैरिस सीमा की सरदार थीं. दौड से अपना नाम वापस लिए जाने लेकिन वह कभी सीमा पर नहीं गईं। के बाद कमला हैरिस के नाम का ट्रंप ने कहा, अगर कमला आपसे जो अनुमोदन किया था। हैरिस (59) अब बाइडन की मानसिक अक्षमता के बारे संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और में इतनी बेशर्मी से झुठ बोलेंगी, तो वह अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन आपसे किसी भी चीज के बारे में झुठ में उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी की

वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऐसे समय रूस की यात्रा करने को लेकर अमेरिका निराश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यहां नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। यह बात अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन सांसदों से कही, जिन्होंने भारत-रूस के बढते संबंधों को लेकर चिंता जाहिर की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पतिन के निमंत्रण पर 8-9 जलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा की थी। यह युक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से मोदी की पहली रूस यात्रा थी। भारत ने 2022 में युक्रेन पर रूस के आक्रमण की अभी तक निंदा नहीं की है और लगातार बातचीत और किया, इस पर अमेरिका कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के सावधानीपूर्वक गौर कर रहा है। उन्होंने

निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के लिए मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूकू की है। ऋण(ओं) को

गैर-निष्मादित आस्ति(यो) (एनपीए) के रूप में वर्गोकृत किया गया है। वितीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनगेउन तथा प्रतिमृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इसे तामील नहीं किया गया है और

122001 में स्थित

PICICI Bank शाखा कायालयः आइसाआइसाआइ प्रपाता । व्य

1. ऋषि सिंह/आदित्य सिंह/संतोष देवी, खाता नं. पलैट नं. एल-02, भूतल, द रोसेलिया 2, टॉवर LBR0H00005173146, निवासी: 659/1, विशाल नगर एल, जोकि सैक्टर-95ए, गुड़गांव, हरियाणा

दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने मंगलवार को यहां संसदीय बैठक में अमेरिकी सांसदों से कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा के प्रतीकवाद और समय को लेकर हमारी निराशा के बारे में आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हम अपने भारतीय मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं उस यात्रा के संदर्भ पर कुछ प्रकाश डालूं तो संभव है कि आप कुछ आश्वस्त हों। मॉस्को जाने से दो सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। लू ने कहा कि मॉस्को में रहने के दौरान मोदी ने क्या

नोटिस भेजने की एनपीए

04/04/ 2024

तिथि / नोटिस की

29/06/2024

17,41,286/-

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी

तिथि तक बकाया

कहा, हमने कोई नया बडा रक्षा सौदा नहीं देखा। हमने प्रौद्योगिकी सहयोग पर कोई बडी चर्चा नहीं देखी। इसके अलावा, आपने देखा होगा कि मोदी ने पुतिन के सामने टेलीविजन पर सीधे प्रसारण में कहा था कि यूक्रेन में युद्ध को युद्ध के मैदान में नहीं जीता जा सकता और युद्ध में बच्चों की मौत को देखकर उन्हें कितना दर्द हुआ था। लू ने कहा, यह परोक्ष तौर पर

कीव में बच्चों के अस्पताल पर बमबारी का संदर्भ है, जो उनके वहां रहने के दौरान हुआ था। महोदय, मैं इस यात्रा के बारे में आपकी चिंता को लोग मारे गए थे।

समझता हूं और हम उन चिंताओं को सीधे भारतीयों तक पहंचाने की बहत कोशिश कर रहे हैं। भारतीयों ने पिछले ढाई सालों में अरबों डॉलर की रक्षा खरीद को रद्द कर दिया है क्योंकि रूस अब आपूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। लू आठ जुलाई को कीव के ओहमाटडाइट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल पर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे, जब रूस ने युक्रेन के शहरों पर मिसाइल दागी थीं। इस हमले में अस्पताल में भर्ती दो लोगों सहित कम से कम 42

फिलीपीन के अपने समकक्षों

एनरिक एम मनालो और नार्वे के

एस्पेन बार्थ इंडे से मुलाकात की

और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को

मजबूत करने और हिंद -प्रशांत क्षेत्र

की प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

जयशंकर ने तिमोर लेस्ते के विदेश

मंत्री बेंडिटो फ्रेटास और कंबोडिया

के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री

सोक चेंदा सोफिया के साथ भी

द्विपक्षीय बैठक की। जयशंकर और

अन्य सभी नेता इस समय लाओ

पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक

की

वियनतियाने में आसियान ढांचे के

तहत आसियान-भारत, पूर्वी एशिया

शिखर सम्मेलन (ईएएस) और

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)

में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं।

एशियाई समकक्षों के साथ बातचीत

मख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों और

जयशंकर की दक्षिणी पूर्वी

राजधानी

इंडैग रबर लिमिटेड (सीआईएन: एल74899डीएल1978पीएलसी009038

पंजी. कार्यालयः खेमका हाउस, 11, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 होन : 011—26963172/73, ई-मेल आईडी: info@indagrubber.com, वंबेसाइट: www.indagrubber.com 45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग सूचना

सूचना दी जाती है कि इंडेग रबर लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की पैतालीसवीं वार्षिक मान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 को दोपहर के 3.00 बजे आईएसटी, एजीएम गोटिस में सूचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित करने हेतु, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो वेजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें 26 जून, 2024 की एजीएम वेजुअल मान्स (आएवाएम) के माध्यम से आयाजित का जाएंगा, जिसमें 26 जून, 2024 का रुजाएंग की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना केवल ई—वोटिंग / रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा शामिल होगी जो कि कॉर्पोरेट गमलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 7/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में, उसके बाद परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 ई. 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 ाई, 2022, परिपन्न संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपन्न संख्या 09 / 2023 दिनांक 5 सितंबर, 2023 और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपन्न ("एमसीए परिपन्न") और तीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 /सीआईआर/पी /2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर सेबी/एकओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा तर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022, सेवी/एवओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 तथा सेवी/एवओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टबर 2023 तथा सेवी/एवओ/सीएफडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टबर 2023 (सेवी तर्कुलर्स") (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में कि जाएगी। 45वीं

वार्षिक आम बैठक के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए व्याख्यात्मक विवरण और बार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 25 जुलाई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी है, जिनका नाम 19 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है कंपनी / रुतिस्टार गर्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट रुपनी की वेबसाइट www.indagrubber.com पर 'निवेशक संबंध' शीर्षक के तहत और बीएसई लिमिटेड की बसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं और ऐसे सदस्यों को हंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

रिकॉर्ड तिथि और लामांश ार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पहले से भुगतान किए गए 0.90 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लागांश के अतिरिक्त, 2 रुपये प्रति अंकित मुल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.1 रुपये का अंतिम लाभांश स्वीकृत और अनुशंसित किया है, जो वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के

बोर्ड द्वारा अनुशंसित लामांश, यदि इस वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत हो जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन जैसा भी लाग हो. घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर जन व्यक्तियों या उनके अधिदेशों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 16 अगस्त, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं (यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं) और उन लाभकारी स्वामियों को, जिनके नाम 9 अगस्त, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति पर एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं (यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं)।

सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 10 अगस्त, 2024 से शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

रिमोट ई-वोटिंग र्हपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ—साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेवी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावचानों के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डेपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाओं का लाम उठाया है। सदस्य कृपया कंपनी द्वारा प्राप्त दूरस्थ ई-वोटिंग सेवाओं के संबंध में नीचे नोट करें -

एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है जो 13 अगस्त 2024 को प्रात: 9:00 बजे से प्रारंग होकर 15 अगस्त 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि 9 अगस्त 2024 को सदस्यों / लागार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह कंपनी का ईवीएन नंबर का चयन करके रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में इलेक्टॉनिक रूप से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

कोई भी व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रॉनिक रूप में एजीएम नोटिस भेजने के बाद लेकिन 9 अगस्त 2024 की कट-ऑफ तारीख से पहले शेयर हासिल कर लिया है और कंपनी का सदस्य बन गया है, वह कंपनी के आरटीए से admin@skylinerta.com पर ई-मेल करके और एनएसडीएल से evoting.nsdl.co.in पर ई-मेल करके रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा

(iv) जो व्यक्ति कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 तक कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। (v) 15 अगस्त 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग अक्षम कर दी

जाएगी और उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) 45वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम के नोटिस में एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। (vii) वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। (vii) एक सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के बाद एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ix) सदस्यों के निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज एजीएम के दौरान बिना किसी शुल्क वं

निरीक्षण के लिए इलेक्टॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।

(X) किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं। या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई — 400 013,, निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान करेगा। सदस्य कंपनी सचिव को info@indagrubber.com पर भी लिख सकते हैं।

(xi) निर्देशक मंडल ने मेसर्स कनिष्क अरोड़ा एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सीपी संख्या 13253) के श्री कनिष्क अरोड़ा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई—वोटिंग के संचालन के लिए स्कूटिनाइजर नियुक्त किया है।

तिथि : 25 जूलाई, 2024

स्थान : नई दिल्ली

क बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.indagrubber.com और बीएसई लिमिटेड की बसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है। बोर्ड की आज्ञानसार

वास्ते इंडैंग रबर लिमिटेड हस्ता / कम्पनी सेक्रेटरी

🖄 Karnataka Bank Ltd. 🗠

पूसा रोड नई दिल्ली - 110060

वेषसाइट: www.kamatakabank.com सीआईएनः L85110KA1924PLC001128

अवल सम्पत्ति की बिक्री सूवना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(8) के परंतुक के साथ पठित

भाम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ऑ) और गारंटर(ऑ) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अधल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंचक / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 12.03.2023 को लिया गया है. उसके उधारकर्ता / गारंटर / सह-ओब्लिगेंट

t) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री सचेन्द्र सिंह (2) श्री सचेन्द्र सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह, दोनों नं. (t) और (२) का पता (क) जरून कटरा, जरुआ, आगरा– 283102, उत्तर प्रदेश (ख) आवासीय भवन, प्लॉट न 03. दीक्षा एस्टेंट मीजा नैनाना जाट. तहसील सदर और जिला आगरा- 282009, उत्तर प्रदेश (ग) प्रावाशीय पर्लंट में. 18बी, प्रथम तल, प्लॉट में. 18, खरारा में. 52 और 53 के माग पर निर्मित भवन में गौरी कुंज, मौजा-रोहता, ग्वालियर रोड, तहसील सदर, जिला आगरा-282009, उत्तर प्रदेश (3) श्री नोकेश सिंह पुत्र श्री सचेन्द्र सिंह, जरुन कटरा, जरुआ, आगरा–283102 से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, आगरा शाखा, नं.76, हेरिटेज टावर्स, महात्मा गांधी रोड, नेहक नगर, आगरा-282002 उत्तर प्रदेश की बकाया राशि (1) रु. 75,64,211.53 (रु. पथहत्तर लाख चीसठ हजार दो सी ग्यारह और पैसे तिरेपन मात्र) अर्थात (1) टर्म लोन खाता सं. 0307001600025101 मे अंतर्गत रु. 58,30,492.00 दिनांक 23.07.2023 से मंदिष्य के ब्याज समित (1.0 पीएस टर्म लोन खाता सं. 0307001800009801 वं अंतर्गत रु. 17,33,719.53 दिनांक 21.07.2023 से भविष्य के ब्याज, लागत इत्यादि सहित की वूसली हेत् (२) जधारकर्ता / गारंटर / सह—ओब्स्रिगेट मैसर्स फीजदार एंटरप्राइजेज, जिसका प्रतिनिधित्व इसकी मोप्राइटर श्रीमती कमलेश देवी द्वारा, पताः गांव और पोस्ट जरुआ कटरा आगरा -283102, उत्तर प्रदेश (2) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री सचेंद्र सिंह (3) श्री सचेंद्र सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह, दोनों नं. (2) और (3) का पता जरुआ कटरा, आगरा–283102, उत्तर प्रदेश से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक विमिन्देड आगरा भारता मं २६ हेरिनेज नावर्ग महात्मा गांधी रोड मेडक नगर आगरा-२६२५०२ जलर प्रदेश की बकाया राशि (1) रू. 43,06,152.70 (रू. तैतालीस लाख छह हजार एक सौ बावन और पैसे सत्तर मात्र) अर्थात (i) पीएस ओवरद्वापट ऋण खाता सं. 0307000600014201 के अंतर्गत रू 23,65,059.00 दिनांक 01.07.2024 से भविष्य का ब्याज सहित, (1) पीएस साविध ऋण खाता सं १३०७७०180000७७२०१ के अंतर्गत रा. 9.82.224.64 दिमांक 15.07.2024 से मविष्य का ब्याज सहित (11) पीएस सावधि ऋण खाता सं. 0307001800007901 के अंतर्गत रु. 6,02,367,06 दिनांक 11,07. 2024 से भविष्य का ब्याज सहित (jv) पीएस टर्म लोन खाता सं. 0307001800008401 के अंतर्गत रू 3 56 502 00 दिनांक 17.07 2024 से भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि सहित

की वसूली हेतु "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 28.08.2024 को बेचा

सम्पत्ति नं 1 : संपत्ति का यह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फॉर्ट नं 03 दीक्षा एस्टेट

तेत्रफल 133.45 वर्ग मी., खसरा नं. 74 का हिस्सा, उस पर बनी इमारत सहित मीजा नैनाना जाट, तहसील सदर और जिला आगरा. उत्तर प्रदेश में स्थित. श्रीमती कमलेश देवी से संबंधित. चीहदी: पूरव में - प्लॉट नं. 4, पश्चिम में - प्लॉट नं. 2, उत्तर में - 9.0 मी. चीड़ी रोड़, दक्षिण में -आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकती. रू. 73,56 335 /

(रु. तिहत्तर लाख छप्पन हजार तीन सौ पैतीस मात्र)

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसकं नीचे अवल संपत्ति नहीं बेची जा सकती: रु. 52,80,000.00 (रु. बावन लाख अस्सी हजार मात्र)

मा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि: रु. 7,35,633.50 (रु. सात लाख पैतीस हजार छः सं तैतीस और पैसे प्रधास मात्र)

सम्पत्ति नं. 2 : संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. 18बी, प्रथम तल क्षेत्रफल 50.14 वर्ग मी., निर्मित नवन में प्लॉट सं. 18, खसरा सं. 52 और 53 का माग, गौरी कुंज मौजा-रोहता, ग्वालियर रोड, तहसील सदर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कमलेश देवी से संबंधित चीहरी. पूरब में — अन्य की संपत्ति, पश्चिम में — 9.00 चीड़ी सड़क, उत्तर में — सम्पत्ति सं बी—17 एफ एफ दक्षिण में — सम्पत्ति सं. बी—19 एफ.एफ

शरकित मृल्य/अपसेट मृल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकती. रू. 20.71,000.00 (रु. बीस लाख इकलर हजार मात्र)

. जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु. 2,07,100.00 (रु. दो लाख सात हजार एक सौ मात्र) ज़्धारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राव्धानों की ओर प्राकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्ति को घुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है () (यह नोटिस उधारकर्ता / गारंटर को सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (8) के उपनियम(8)

के तहत नोटिस के रूप में भी कार्य करेगा) बिक्री जी विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट www.karnatakabank.com पर "बिक्री हेतु कंग्रक परिसंपतिया" के अंतर्गत दिए गए लिंक को

ई-नीलामी 28.08.2024 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाला को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नि.शुल्क प्राप्त करना होगा और ई-नीलामी (संगवत: 27.08.2024 वो) मैसर्स 4क्लोजर, 605 ए. हवी मंजिल, मैत्रियनम्, अमीरपेट, हैदराबाद- 500038, संपर्क न

040-23836405, मोबाइल 8142000809, ई-मेल: info@bankauctions.in से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक: 25.07.2024 कृते कर्नाटका बैंक लि. मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी स्थान : आगरा

चीन हिंद महासागर में घुसपैट कर रहा है: अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन। अमेरिका की एक प्रभावशाली सांसद ने दावा किया है कि चीन हिंद महासागर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रहा है, जिससे अमेरिका और दक्षिण एशिया में उसके मित्र देशों और सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी संसद में मंगलवार को सत्र के दौरान महिला सांसद यंग किम ने कहा कि वैश्विक व्यापार के लिए हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण मार्ग है जहां 80 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार और 40 प्रतिशत विश्व व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है। विदेश मामलों की समिति में हिंद-प्रशांत के मुद्दों से संबंधित उपसमिति की अध्यक्ष यंग ने मंगलवार को कहा, हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को नहीं भूल सकते। अमेरिकी सांसद यंग किम ने कहा कि दक्षिण एशिया अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किम ने कहा कि इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, जिससे अमेरिका के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) हिंद महासागर में महत्वपूर्ण मार्गों पर कब्जा कर रही है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रही है। हाल के वर्षों में हमने पाकिस्तान और श्रीलंका में चीन के बंदरगाहों, जिब्रूती में सैन्य प्रतिष्ठानों और मालदीव के बुनियादी ढांचे में चीन के निवेश को देखा है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों तथा क्षेत्र में हमारे मित्रों और सहयोगियों के लिए खतरा बन रहा है। किम ने कहा, पिछले महीने मेरी उपसमिति ने हिंद-प्रशांत बजट, दक्षिण चीन सागर तथा ताइवान जलडमरूमध्य पर चीन के आक्रमक रुख पर चर्चा की थी। सीसीपी भारत की नियंत्रण रेखा पर सीमा संघर्ष को भी बढ़ा रहा है और इसकी पनडुब्बियां और युद्धपोत नियमित रूप से हिंद महासागर में आवागमन कर रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संसाधन-समृद्ध दक्षिण चीन सागर को व्यापक रूप से वैश्विक संघर्ष के लिए संभावित केंद्र बिंदु के रूप में देखा जाता है। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि

फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं।

ये कदम नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता/ओं और/या गारंटरों/ओं (जैसा लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक : जुलाई 26, 2024

रियाणा रोहतक 124001

इसलिए इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता /

गारंटर का नाम और पता

कृते आई सी आई सी आई बैंक लि. सार्वजनिक सूचना शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल

शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. प्लॉट नं. 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल

सुरक्षित आस्तियों का विवरण

AICICI Bank शाखा कावालयः जाइराजाद्वराज्य निस्ती-110005 निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के लिए मूलघन और व्याज के पुनर्नृगतान में चूक की है। ऋण(ओं) को गैर—निष्पादित आस्ति(यों) (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पत्रे पर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इसे तामील नहीं किया गया है और इसलिए इस सार्वजनिक सुचना के माध्यम से अधिसुचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता ∕ सह—उधारकर्ता ∕ गारंटर का नाम और पता (ऋण खाता सं.)	सुरक्षित आस्तियों का विवरण	नोटिस भेजने की तिथि/नोटिस की तिथि तक बकाया	
1.	निघि/अमृता नंद बडोला (LBDEH00002870577) और 15/215, मालवीय नगर, नई दिल्ली— 110017	फ्लैट नं. 53 डी, एमआईजी आईएसबीटी आवासीय योजना देहरादून उत्तरांचल— 248002	18/06/2024 ₹. 4,43,600/-	04/04/ 2024
2.	दीपक तोमर / जी पी सिंह (LBBAR00003213793) और पुत्र ज्ञानेंद्र पाल सिंह, मकान नं. 170, सेक्टर 2, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बरेली बिशॉप स्कूल के पास, आरके यूनिवर्सिटी रोड, नवबांज यू.पी., उत्तर प्रदेश, बरेली – 243006	पार्क, ग्राम हरुनगला, तहसील और जिला बरेली,		07/04/ 2024

ये कदम नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता/ओं और/या गारंटरों/ओं (जैसा लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भगतान करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिक और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक : जुलाई 26, 2024 भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी स्थानः दिल्ली / एनसीआर कृते आई सी आई सी आई बैंक लि.

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड प्लॉट नंबर 23 शॉल टॉवर तीसरी मंजिल **(PICICI Bank** न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

आईसीआईसीआई बँक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभृतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अंतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह–कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण / सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	रितु जैन/राहुल जैन/ LBDEL00002402048	एल.आई.जी. फ्लैट नं. 14, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-ए1, पॉकेट-5, सेक्टर-35, रोहिणी, दिल्ली- 110085/ जुलाई 22, 2024	अप्रैल 17, 2024 रु. 9,28,256/-	दिल्ली/ एनसीआर
2.	चिराग सिंघल/मिंटू सिंघल/लीला रानी/ LBDEL00005472662	संपत्ति बेयरिंग संख्या 301, दूसरी मंजिल, बिना छत/टेरेस अधिकार के, ब्लॉक-डी, प्रशात विहार आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित (उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक 1/4 फ्री-होल्ड अधिकारों के साथ) दिल्ली- 110085/ जुलाई 22, 2024	मार्च 21, 2024 रु. 55,09,282/-	दिल्ली/ एनसीआर
3.	ओम प्रकाश बत्रा/ममता बत्रा/चंचल कांता बत्रा/ LBDEL00005383999/ LBDEL00003957237/ LBDEL00003957157	फ्री होल्ड डी.डी.ए. निर्मित फ्लैट नं. 371, दूसरी मंजिल, एमआईजी श्रेणी के अंतर्गत, पॉकेट-ए, सेक्टर-डी, शालीमार बाग में स्थित, दिल्ली- 110088 / जुलाई 22, 2024	मार्च 20, 2024 रु. 53,97,833/-	दिल्ली/ एनसीआर
4.	संतोष कुमार/अर्चना/ LBDEL00005650784	डी.डी.ए. बिल्ट-अप फ्री-होल्ड एल.आई.जी. फ्लैट बियरिंग नंबर 902, ग्राउंड फ्लोर पर, पॉकेट-डी में स्थित, लोक नायकपुरम (बक्करवाला), नई दिल्ली, दिल्ली- 110041/ जुलाई 23, 2024	मार्च 08, 2024 रु. 11,10,170/-	दिल्ली/ एनसीआर
5.	राजेश कुमार/ दीपा उपाध्याय/ LBDEL00005118029	फ्लैट नंबर 351, दूसरी मंजिल, डीडीए जनता श्रेणी के अंतर्गत, पॉकेट 6, सेक्टर 1ए फेज-1, सनराइज अपार्टमेंट, नसीरपुर, द्वारका, दिल्ली- 110045/ जुलाई 23, 2024	जनवरी 19, 2024 रु. 10,39,178/-	दिल्ली/ एनसीआर
6.	नारायण सिंह मेहरा/ सुरेद्र सिंह/शांति देवी/ LBDEL00004554010/ LBDEL00004557200	डीडीए जनता फ्लैट नंबर 527, तीसरी मंजिल, पॉकेट-7, चरण- I, नसीरपुर, द्वारका, दिल्ली- 110045/ जुलाई 23, 2024	मार्च 23, 2024 रु. 5,96,388/-	दिल्ली/ एनसीआर

उपरोक्त कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है. अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से

30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी। भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिनांक : जुलाई 26, 2024 स्थान : दिल्ली / एनसीआर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए